न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हॅंसमख कुमार आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र सं. 42/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
पूनमाराम पुत्र शंकरराम जाति माली उम्र 42 वर्ष निवासी फुंगणी तहसील व जिला सिरोही		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री नरपतसिंह देवडा
2– अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ना.तह.सिरोही

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने बाबत् ।

निर्णय

दिनांक 4–12–2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने बाबत दिनांक 22–10–2020 को पेश किया जिसका संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा फुंगणी पटवार हल्का फुंगणी भू.अ.नि. कालन्द्री तहसील सिरोही मे निम्नानुसार आयी हुई है :–

क्र.सं.	खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षैत्रफल	किस्म	लगान
1	127	681	3.2600 हैक्टेयर	बारानी–3	रू 3.26
2	126	673	1.5200 हैक्टेयर	बारानी–3	रू 1.52

उक्त वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है और प्रार्थी को वारिसान मे अपने पिता की मृत्यु होने से प्राप्त हुई है। प्रार्थी के पिता स्वर्गीय शंकरराम की दिनांक 26–5–1992 को ग्राम फुंगणी मे मृत्यु हो गयी थी तब प्रार्थी नाबालिंग था । प्रार्थी के पिता फौत हो जाने पर उनके वारिसानों मे प्रार्थी पूनाराम व उसकी माता मु.मूली के नाम से बफौतगी नामान्तकरण दर्ज किया गया था तब से आज दिन तक राजस्व रेकर्ड मे उक्त नाम चलते आ रहे है। प्रार्थी की माता मूली अनपढ व असाक्षर होने से प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड मे पूनाराम दर्ज करवाया था जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम पूनमाराम है ौर प्रार्थी के सभी पहचान के दस्तावेज पनमाराम के नाम से बने हुये है। प्रार्थी का सम्मानजनक नाम पूनमाराम है लेकिन प्रार्थी के नाबालिंग होने एवं उसकी माता अनप व असाक्ष्य होने से प्रार्थी के पिता शंकरराम की दिनांक 26–5–1992 को मृत्यु होने के पश्चात उत्तराधिकारी नामान्तकरा मे प्रार्थी का नाम सहवन से राजस्व रेकर्ड मे राजस्व अधिकारियों द्वारा पूनाराम दर्ज किया गया था । उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि मे प्रार्थी का वर्तमान मे भी नाबालिंग जरिये कुदरती संरक्षक सरपरस्त मूली बेवा शंकर नाम दर्ज है जबकि प्रार्थी वर्तमान मे 42 वर्ष का व्यस्क व्यक्ति है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड नाबालिंग दर्ज होने से प्रार्थी को राजस्व भूमि से मिलनने वाले सभी लाभों से वंचित होना पड रहा है जिससे राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी के नाबालिंग इन्द्राज को हटाया जाकर शुद्व व सम्मानजनक नाम पूनमाराम दर्ज किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्णित उक्त संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे "नाबालिंग पूनाराम पुत्र शंकर संरक्षक सरपरस्त मूली बेवा शंकर" के स्थान पर शुद्व व सम्मानजनक नाम "पूनमाराम पुत्र शंकरराम " दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कराना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित फुंगणी की जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या 126 व 127 की नकल प्रार्थी के पिता शंकरराम का मृत्यु प्रमाण पत्र ,जन आधार काड ,प्रार्थी का वोटर कार्ड व प्राथी का आधार कार्ड की प्रतिलिपियों का अवलोकन करने पर प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टयॉ सहमत होने से न्यायालय मे दिनांक 22–10–2020 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया । विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 6–11–2020 को अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को नोटिस तामिल होकर प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया।

विचाराधीन प्रकरण मे अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही ने जरिये पत्र क्रमांक रीडर/2019/1037 दिनांक 23–11–2020 को जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने अपने उक्त जवाब मे प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र मे अंकित पेरा बिन्दु संख्या 1 से 8 तक के तथ्यों को स्वीकार करते हुये कथन किया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड मे तो पुनाराम दर्ज है जबकि समस्त परिवार पहचान के जन आधार कार्ड ,वोटर पहचान पत्र ,आधार कार्ड के दस्तावेजों मे प्रार्थी का नाम पुनमाराम दर्ज है। संलन पहचान दस्तावेजों की फोटो प्रतियों के आधार पर प्रार्थी [illegible] चुका है अतएव राजस्व रेकर्ड मे उनके नाम के आगे दर्ज नाबालिंग की प्रविष्टि एवं संरक्षक के रू[illegible] अंकित [illegible]नकी माता श्रीमती मुली बेवा शंकर का नाम विलोपित किया जाना तथा प्रार्थी का शुद्व एवं सम्मानजनक [illegible]नमाराम दर्ज किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:57:35 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी के प्रार्थनापत्र व [illegible] जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या 126 व 127 की नकल प्रार्थी [illegible] प्रमाण पत्र ,जन आधार [illegible]र्थी का वोटर कार्ड व प्राथी का आधार कार्ड की प्रतिलिपियों के साथ साथ तहसीलदार सिरोही के उक्त जवाब का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार की उक्त प्रार्थना पत्र पर अंतिम बहस सुनकर उस पर भी मनन किया । प्रकरण के समग्र विवेचन के उपरान्त यह पाया कि पत्रावली के संलग्न फुंगणी की जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या 126 व 127 की प्रतियों मे प्रार्थी का

सहायक कलेक्टर सिरोही (राज.)
उपखण्ड अधिकारी

नाम नाबालिंग पुनाराम पुत्र शंकर संरक्षक सरपरस्त मु.मुली बेवा शंकर हिस्सा 1/4 जाति माली सा.देह खातेदार गलत दर्ज है जबकि जबकि समस्त परिवार पहचान के जन आधार कार्ड ,वोटर पहचान पत्र ,आधार कार्ड के दस्तावेजों मे प्रार्थी का नाम पुनमाराम दर्ज है। संलन पहचान दस्तावेजों की फोटो प्रतियों के आधार पर प्रार्थी बालिंग हो चुका है अतएव राजस्व रेकर्ड मे उनके नाम के आगे दर्ज नाबालिंग की प्रविष्टि एवं संरक्षक के रूप मे अंकित उनकी माता श्रीमती मुली बेवा शंकर का नाम विलोपित किया जाना तथा प्रार्थी का शुद्व एवं सम्मानजनक नाम पुनमाराम दर्ज किया जाना उचित है। प्रार्थी के नाम की उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से गलत नाम अंकित हो गया है। प्रार्थी के नाम की त्रुटि लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा मे आने से न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी सरकारी योजननाओं का लाभ से वंचित होने के साथ साथ आर्थिक नुकसान व मानसिक तनाव मे आने की संभावना है।

अतः उपरोक्त आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही बाबत राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का न्यायहित मे स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भूमिधारी सिरोही को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के गांव फुंगणी मे संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी वर्तमान जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 126 के खसरा संख्या 673 क्षैत्रफल 1.5200 हैक्टेयर तथा जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 127 के खसरा नंबर 681 क्षैत्रफल 3.2600 हैक्टेयर मे प्रार्थी के गलत दर्ज नाम "नाबालिंग पूनाराम पुत्र शंकर संरक्षक सरपरस्त मूली बेवा शंकर" के स्थान पर शुद्व व सम्मानजनक नाम "पूनमाराम पुत्र शंकरराम" दर्ज/संशोधन कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिर्पोट इस न्यायालय मे शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(हॅसमुख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

न्यायालय सहायक कलेक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:57:35 IST
Reason: SelfAttested